प्रेस नोट
दिनांक 12.07.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के षड़यन्त्रकारी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 148/2024 धारा 498A, 304B, 120B भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित **षड़यन्त्रकारी** अभियुक्त 01. मनोज कुमार पासवान पुत्र स्व0 स्वामीनाथ निवासी पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.04.2024 को वादिनी द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 148/2024 धारा 498A, 304B, 120B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम सोनू पासवान विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए **षड़यन्त्रकारी** अभियुक्त 01. मनोज कुमार पासवान पुत्र स्व0 स्वामीनाथ निवासी पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा को आज दिनांक 12.07.2024 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मनोज कुमार पासवान पुत्र स्व0 स्वामीनाथ निवासी पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 148/2024 धारा 498A, 304B, 120B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०विनय कुमार पाण्डेय
02. का0 आनन्द अग्रहरि
03. का0 आनन्द कुमार सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.07.2024, मानिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने व जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 18,000/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी विशाल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 18,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 12.06.2021 को घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में अभियुक्त 01. विशाल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक व थाना छपिया के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 संध्या चौरसिया द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी महोदय द्वारा अभियुक्त विशाल यादव को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 18,000/-रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. विशाल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-173/2021, धारा 307, 452, 354, 120बी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना छपिया, जनपद गोण्डा।